बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

!! संकल्प !!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री अरविन्द पासवान, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई द्वारा नगर पंचायत, बखरी में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट, एल0ई0डी0 हाई मास्ट लाईट, वेलकम गेट एवं सी0सी0टी0 कैमरा के क्रय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

अतः बिहार राज्यपाल ने संकल्प लिया है कि श्री पासवान के विरूद्व प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव–सह–निदेशक को संचालन पदाधिकारी एवं श्री शिव प्रसाद राम, अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री पासवान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष किसी समय कार्य दिवस में जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यापाल के आदेश से,

ह0/–

(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (आरोप)–04/2017 4783 /न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक–20.11.17

प्रतिलिपिः– आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति सहित श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, संचालन पदाधिकारी/ श्री शिव प्रसाद राम, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अरविन्द पासवान, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी जाए तथा यथाशीघ्र विभागीय कार्यवाही का अधिगम समर्पित करने की कृपा की जाय।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।

D:\kundan (37) k\bara babu\Sanlekh\BUILDING.doc 71

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रपत्र – 'क'

1.	सरकारी (आरोपित) पदाधिकारी का नाम	:–	श्री अरविन्द पासवान, बि०न०से०
2.	पदनाम	:–	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी
3.	समूह	:–	वर्ग – 2
4.	वेतन बैण्ड/ग्रेड–पे	:–	PB2/4600/-
5.	जन्म तिथि	:–	10.01.1985
6.	सेवानिवृति की तिथि	:–	31.01.2045
7.	आरोप/लांछन का अभिकथन	:–	नगर पंचायत, बखरी में सामग्रियों के क्रय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन।

आरोप	आरोप की विवरणी	साक्ष्य
1	2	3
नगर पंचायत, बखरी में सामग्रियों के क्रय में प्रक्रिया का पालन नहीं करने तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग।	(i) नगर पंचायत, बखरी, बेगूसराय में एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट, एल०ई०डी० हाई मास्ट लाईट, बेलकम गेट एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा के क्रय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है। (ii) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–124 दिनांक–21.03.16 द्वारा नगर पंचायत, बखरी को 1,65,58962.00 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जबकि इस मद में 3,03,83089.00 का क्रय किया गय है, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग है। (iii) व्यक्तिगत लाभ हेतु आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय किया गया है। (iv) विभाग द्वारा भेजे गये कर्णांकित राशि को एक ही मद में व्यय किया गया है। (v) तकनीकी/वित्तीय निविदा को क्रय समिति के समक्ष नहीं खोला गया है तथा सामग्री के क्रय हेतु क्रय समिति की अनुशंसा नहीं प्राप्त की गई है। (vi) विभाग द्वारा निर्धारित मद से अलग मद में उक्त सामग्रियों के क्रय हेतु राशि का व्यय किया गया है। (vii) निविदा आमंत्रण सूचना में एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट, हाई मास्ट लाईट की शिशिष्टयों का उल्लेख नहीं रहने के कारण निविदा में पारदर्शिता का अभाव है। (viii) 823 अद्द स्ट्रीट लाईट एवं 8 हाई मास्ट लाईट का क्रय नगर पंचायत, तेघड़ा में किये गये निविदा के आधार पर किया गया है, जो वित्तीय नियमों का पूर्णत् उल्लंघन है। (ix) निविदा के शर्त्तों के विपरीत एजेंसी/संवेदकों का चयन किया गया है।	बिहार विधान परिषद का ज्ञापांक–वि०प०अ०प्र० – 47/2017 – 270 (1) दिनांक–15.02.2017 एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय का जांच प्रतिवेदन पत्रांक–188 दिनांक–04.03.17 (अनुलग्नक सहित)

(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

समाहरणालय बेगूसराय

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक......188...../जिला विकास

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

सेवा में,

निदेशक नगरपालिका प्रशासन,
–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बेगूसराय, दिनांक......04/03....../2017

SO-01 15/3

विषय :– श्री दिलीप कुमार चौधरी, माननीय स0वि0प0 द्वारा दिनांक 06.03.2017 को पूछा जाने वाला ध्यानाकर्षण का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 1219, दिनांक 20.02.2017 एवं पत्रांक 1503, दिनांक 03.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि श्री दिलीप कुमार चौधरी, माननीय स0वि0प0 द्वारा दिनांक 06.03.2017 को पूछा जाने वाला ध्यानाकर्षण का प्रतिवेदन कार्यालय ज्ञापांक 147/जिला विकास, दिनांक 28.02.2017 द्वारा भेजा गया है।

प्रासंगिक पत्रांक 1503, दिनांक 03.03.2017 के आलोक में जॉच प्रतिवेदन की मांग अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी से की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
(ह०)
जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

15४

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी ,बखरी।

पत्रांक........../ दिनांक..................

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी
बखरी।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा,
बेगूसराय।

विषय :-- श्री दिलीप कुमार चौधरी, माननीय स0विप0 द्वारा दिनांक 06.03.2017 को पूछे जाने वाला ध्यानाकर्षण से संबंधित प्रश्न के जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :-- आपका ज्ञापांक 150 / वि0, दिनांक 04.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से दिये गये निदेश के आलोक में जाँच की गई एवं नगर पंचायत कार्यालय, बखरी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। कार्यालय द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय द्वारा नगर पंचायत, बखरी में एक कनीय अभियन्ता श्री रवि कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो संविदा पर कार्यरत हैं। उनसे विभागीय निदेशानुसार ही तकनीकी कार्य लिया जाता है एवं संविदा पर होने के कारण कार्य सम्पन्न कराने के उपरांत ही उन्हें राशि का भुगतान किया जाता है। साथ ही, यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि किसी भी योजना को तोड़कर नहीं किया गया है। कार्यालय में संधारित कई योजना अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं पाया कि वार्ड सं0 19 में हरदेव साह के घर से पीकू महतो के घर तक पी0सी0सी0 ढलाई कार्य, वार्ड नं0 05 में गोरख साह के घर से रामाकान्त मालाकार के घर होते हुये कब्रिस्तान तक पी0सी0सी0 ढलाई कार्य, वार्ड नं0 07 के नाई टोला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य इत्यादि योजनाओं में श्री रवि कुमार, कनीय अभियन्ता को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित कार्यादेश की प्रति संलग्न करते हुये अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :1. नगर पंचायत कार्यालय,
बखरी से प्राप्त प्रतिवेदन।
2. संबंधित योजनाओं का कार्यादेश की प्रति।
3. प्रतिनियुक्ति आदेश ज्ञापांक
391 दिनांक 03.05.2016

विश्वासभाजन

4/3/17

अनुमंडल पदाधिकारी
बखरी।

5

1

कार्यालय नगर पंचायत,बखरी

पत्रांक 1107 / दिनांक 22/11/16 /

प्रेषक :- नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,बखरी ।

प्रेषित :- श्री रवि कुमार,कनीय अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,डूडा
बेगूसराय ।

विषय :- नगर पंचायत बखरी अंतर्गत वार्ड नं0 19 मे हरदेव साह के घर सड़क से लेकर पींकू महतो के घर (मुख्य पी0 सी0 सी0 सड़क) तक पी0 सी0 सी0 ढलाई कार्य ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य के संबंध मे नगर पंचायत,बखरी वार्ड नं0 19 मे श्री रवि कुमार कनीय अभियंता द्वारा मों0. 2,28,800.00 रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जिसकी तकनीकि स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त है। साथ ही नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक–22.10.2016 मे वर्णित योजना के आलोक मे कार्य को विभागीय रुप से कराने का निर्णय लिया गया। उस निर्णयालोक में उक्त योजना का कार्य विभागीय रुप से कराया जाता है। जिस आलोक में उक्त योजना कार्य को विभागीय रुप से कराने हेतू श्री रवि कुमार कनीय अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण,डूडा,बेगूसराय को प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि कार्य पूर्णता के संबंध में संबंधित वार्ड पार्षद से पूर्णता प्रमाण पत्र लेकर अभिलेख में संलग्न करेंगे। योजना का कार्य वरीय तकनीकी पदाधिकारी की देखरेख में एवं विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक मे कार्य संपन्न करेगें तथा योजना मे कार्यरत मजदूरों का मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अंतर्गत भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। कार्यस्थल पर प्राक्कलन की छायाप्रति रखेंगे। योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करेगें।

22/11/16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,बखरी ।

ज्ञापांक 1107 दिनांक 22/11/16

प्रतिलिपिः-- प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता,नगर पंचायत,बखरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-- प्रतिनियुक्त श्री रवि कुमार, कनीय अभियंता,नगर पंचायत,बखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-- माननीय मुख्य पार्षद नगर पंचायत बखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू समर्पित।

22/11/16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,बखरी ।

52

कार्यालय नगर पंचायत,बखरी

पत्रांक 1004 / दिनांक 22/10/16 /

प्रेषक :– नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,बखरी ।

प्रेषित :– श्री रवि कुमार,कनीय अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,डूडा
बेगूसराय ।

विषय :– वार्ड नं0 07 मे नाई टोला मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य के संबंध मे नगर पंचायत,बखरी के वार्ड नं0 07 मे श्री रवि कुमार कनीय अभियंता द्वारा मो0. 6,05,700.00 रूपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जिसकी तकनीकि स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त है। साथ ही नगर पंचायत,बखरी के सामान्य बोर्ड की बैठक दिनांक 27.07.2016 के अन्धान्य सं0 17 के आलोक मे कार्य को विभागीय रूप से कराने का निर्णय लिया गया। उस निर्णयालोक में उक्त योजना का कार्य विभागीय रूप से कराया जाता है। जिस आलोक में उक्त योजना कार्य को विभागीय रूप से कराने हेतू श्री रवि कुमार कनीय अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण,डूडा,बेगूसराय को प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि कार्य पूर्णता के संबंध में संबंधित वार्ड पार्षद से पूर्णता प्रमाण पत्र लेकर अभिलेख में संलग्न करेंगे। योजना का कार्य वरीय तकनीकी पदाधिकारी की देखरेख में एवं विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में कार्य संपन्न करेगें तथा योजना मे कार्यरत मजदूरों का मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अंर्तगत भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। कार्यस्थल पर प्राक्कलन की छायाप्रति रखेंगे। योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करेगें।

22/10/16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,बखरी ।

ज्ञापांक 1004 दिनांक 22/10/16

प्रतिलिपि:– प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता,नगर पंचायत,बखरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्य पार्षद नगर पंचायत बखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू समर्पित।

22/10/16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,बखरी ।

15

कार्यालय नगर पंचायत,बखरी

पत्रांक 1109 / दिनांक 20/07/16

प्रेषक :— नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,बखरी ।

प्रेषित :— श्री रवि कुमार,कनीय अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,डूडा
बेगूसराय ।

विषय :— वार्ड नं0 05 मे गोरख साह घर से रमाकांत मालाकार के घर होते हुए कब्रिस्तान तक पी0 सी0 सी0 ढलाई कार्य ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य के संबंध मे नगर पंचायत,बखरी के वार्ड नं0 05 मे श्री रवि कुमार कनीय अभियंता द्वारा मो0. 6,45,900.00 रूपये का प्रावकलन तैयार किया गया है। जिसकी तकनीकि स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त है। साथ ही नगर पंचायत,बखरी के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.07.2016 के अन्यान्य 11 मे योजना सं0 06 के आलोक मे कार्य को विभागीय रूप से कराने का निर्णय लिया गया। उस निर्णयालोक मे उक्त योजना का कार्य विभागीय रूप से कराया जाता है। जिस आलोक में उक्त योजना कार्य को विभागीय रुप से कराने हेतु श्री रवि कुमार कनीय अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण,डूडा,बेगूसराय को प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि कार्य पूर्णता के संबंध में संबंधित वार्ड पार्षद से पूर्णता प्रमाण पत्र लेकर अभिलेख में संलग्न करेंगे। योजना का कार्य वरीय तकनीकी पदाधिकारी की देखरेख में एवं विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में कार्य संपन्न करेगें तथा योजना मे कार्यरत मजदूरों का मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अंतगत भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। कार्यस्थल पर प्राक्कलन की छायाप्रति रखेंगे। योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करेगें।

20/7/16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,बखरी ।

ज्ञापांक 1109 दिनांक 20/07/16

प्रतिलिपिः— प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता,नगर पंचायत,बखरी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— माननीय मुख्य पार्षद नगर पंचायत बखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू समर्पित।

20/7/16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,बखरी ।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय

पत्रांक .... / दिनांक ....

आदेश

शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय अंतर्गत कार्यरत कनीय अभियंताओं के बीच कार्यक्षेत्र के आवंटन से संबंधित पूर्व के सभी निर्गत आदेशों को संशोधित करते हुए, उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन निम्न अनुसार किया जाता है :–

क्र0 स0	कनीय अभियंता का नाम	नगर निकाय का नाम	कार्य का ब्यौरा	अभ्युक्ति
1	श्री रवि कुमार मो0–8976166607	नगर निगम, बेगूसराय नगर पंचायत बखरी, नगर पंचायत तेघड़ा एवं नगर पंचायत बलिया।	सभी तरह के अभियांत्रिक कार्य।	
2	श्री रणधीर कु0 चौधरी मो0–9835610470	नगर निगम बेगूसराय, एवं नगर पंचायत बखरी,	सभी तरह के अभियांत्रिक कार्य।	
3	श्री गणेश चन्द्र राही मो0–9471217613	नगर परिषद् बीहट,	सभी तरह के अभियांत्रिक कार्य।	

इसके अतिरिक्त जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय में कार्यालय कार्य में सहयोग हेतु अभियंताओं के बीच निम्न प्रकार कार्य आवंटित किये जाते हैं।

1. श्री मिथिलेश सिंह (स0अ0) — प्राक्कलन शाखा के सभी तरह के कार्य यथा प्राक्कलन की जांच निविदा निष्पादन का कार्य एवं अन्य निदेशित कार्य।
2. श्री रवि कुमार (क0अ0) — तथैव
3. श्री रणधीर कु0 चौधरी (क0अ0) — तथैव
4. श्री गणेश चन्द्र राही (क0अ0) — तथैव

यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय।

ज्ञापांक .... / दिनांक ....
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, बेगूसराय / उप विकास आयुक्त, बेगूसराय, सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय।

ज्ञापांक 391 / दिनांक 3/5/16
प्रतिलिपि– नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बीहट, नगर पंचायत बलिया, तेघड़ा एवं बखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

Ram 2/5/16

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय।

माननीय सभापति महोदय,

नगर पंचायत बखरी, बेगूसराय में सी.सी.टी.वी. कैमरा आपूर्ति सह अधिष्ठान एवं अन्य सामग्री तथा हाईमास्ट लाईट , स्ट्रीट लाईट, जेसीवी ट्रैक्टर , चलंत शौचालय, फोगिंग मशीन एवं एल.ई.डी. लाईट खरीद में काफी अनियमितता हुई है । उक्त सभी सामानों के खरीद में टेंडर प्रक्रिया एवं विभागीय कार्य में लुट – खसोट किया गया है । एल.ई.डी. लाईट नगर पंचायत बखरी में किसी जगह नहीं लगाया गया है। संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता से कार्य नहीं कराने के संबंध में जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय ने अपने पत्रांक – 447, दिनांक – 17.05.2016 के द्वारा नगर पंचायत बखरी को निदेशित किया था कि बहुत ही आवश्यक हो तो प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता से कार्य कराया जा सकता है । क्योंकि उनकी सेवा नियमित है तथा पी.डब्लू.डी. कोड के अन्तर्गत है । इस पत्र को नजर अंदाज कर संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता से एक योजना को तोड़कर कई योजना बनाकर कार्य किया गया है ।

अत: नगर पंचायत बखरी में अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच कर पदाधिकारियों को दंडित कराने हेतु सदन में सरकार से सपष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह./ दिलीप कुमार चौधरी
स0वि0प0

ज्ञापांक :- त्रि.प.अ.प्र.- 47/2017- 270 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 15-2-2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जिला परिषद् एवं पंचायती राज विभाग/ नगर विकास विभाग /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 06.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 14.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

आप्त सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग ★ बिहार, पटना ★ पत्र पंजी 20 FEB 2017 संख्या 1490